उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या– —— /XXXVI(1)/2019-8 एक(5)/2006
देहरादूनः दिनांकः 11 फरवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– **1.(1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिशिष्ट "क" के क्रमांक संख्या 15 का संशोधन **2.** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 'क' के क्रमांक संख्या 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया क्रमांक संख्या 15 प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1				स्तम्भ–2			
वर्तमान परिशिष्ट "क"				एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट "क"			
क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
15	स्वीपर सह फर्राश	01	2,000 रूपये प्रतिमाह (फिक्सड)	15	पर्यावरण मित्र	01	रू0 4,980/– नियत प्रतिमाह (उक्त धनराशि पर श्रमायुक्त द्वारा समय–समय देय मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा)

/
(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– —— (1)/XXXVI(1)/ 2019-8 एक(5)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
/
(सयन सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 43 (2)/XXXVI(1)/2019-8 एक(5)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
6. कार्मिक अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

11.02.19

(सयन सिंह)

अपर सचिव